भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
लखनऊ

<u>पैनल बनाए जाने के संबंध में अनुरोध (आरएफई)</u>

लखनऊ के विभिन्न स्थलों पर स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालयों में औषधियों और दवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं/स्टॉकिस्टों/केमिस्टों का पैनल बनाए जाने के संबंध में सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक (जिन्हें इसके बाद 'बैंक' कहा गया है), लखनऊ स्थित अपने कायार्लय के दवाखानों में दवाओं क आपूर्ति हेतू आपूर्तिकर्ताओं/स्टाकिस्टों/केमिस्टों (जिन्हें इसके बाद 'केमिस्ट' कहा गया है) को सूचीबद्ध करना चाहता है। यह पैनल **एक वर्ष (अप्रैल 2025 से मार्च 2026)** की अवधि के लिए रहेगा बशर्ते केमिस्ट संतोषजनक रूप से काम करते रहें। अपेक्षित वार्षिक खरीद **₹1,90,00,000/- (केवल एक करोड़ नब्बे लाख रुपये)** है।

बैंक उन केमिस्टों से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित करता है जो इस पैनल में अपना नाम शामिल करवाने में रुचि रखते हैं। ऐसे केमिस्ट जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों और जो दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों, वे निर्धारित प्रोफार्मा **(अनुबंध-I)** में आवेदन करें। निर्धारित प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित, एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर **"भारतीय रिज़र्व बैंक के लखनऊ स्थित कायार्लय के दवाखानों में दवाओं की आपूर्ति हेतू आपूर्तिकर्ताओं/स्टाकिस्टों/केमिस्टों का पैनल बनाना"** लिखा हो, तथा जो क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, 8-9 विपिन खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 को संबोधित हो, दिनांक **18 नवंबर, 2024 को शाम 04:00** बजे तक हमें अवश्य प्राप्त हो जाए। किसी भी आवेदन को स्वीकार करने या किसी / सभी आवेदनों को, कोई कारण बताये बिना, अस्वीकार करने का अधिकार रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

<u>I. सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता</u>:

(क) केमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 अथवा यथालागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत, राज्य के औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए जारी किए गए लाइसेंस होने चाहिए जो आवेदन की तारीख को वैध हों। उनके पास दवाओं की बिक्री / व्यापार के लिए आवश्यक अन्य लाइसेंस, मंजूरी और अनुमति भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध केमिस्ट को यह भी सुनिश्चित करना होगा और वचन देना होगा कि संविदा की अवधि समाप्त होने तक उसके पास ये लाइसेंस वैध रूप में उपलब्ध होंगे। पूरी अवधि के दौरान आवश्यक लाइसेंस न रखने वाले केमिस्ट को स्वतः ही पैनल से हटा दिया जाएगा।

(ख) केमिस्ट को राज्य औषधि प्राधिकरण द्वारा कभी दोषी न ठहराया गया हो और उसके विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनयम और नियमों या ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 या ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के

तहत एवं अन्य किसी भी कानून के तहत कोई मामला लंबित न हो। इसमें अच्छी छवि रखने वाले केमिस्ट शामिल किए जाएँगे तथा उन्हें किसी भी कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।

(ग) केमिस्ट का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल न्यूनतम कारोबार **95 लाख** होना चाहिए **(अनबंधु-II में निर्दिष्ट)**।

(घ) केमिस्ट के पास इसी प्रकार का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए अर्थात सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / प्रतिष्ठित ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों में से कम से कम एक में दवाओं की आपूर्ति हेतु बनाए गए पैनल में पिछले दो वर्ष में उसका नाम सूचीबद्ध किया गया हो।

(ङ) केमिस्ट को बैंक द्वारा मांग (इंडेट) की गयी सभी प्रकार की दवाओं और चिकित्सा में खर्च होने वाली सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, चाहे वह जिस ब्रांड या निर्माता की हो। इस दस्तावेज में अन्यत्र वर्णित क्रय संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद आपूर्ति कर पाने में असफल रहने पर कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में बैंक कोई भी कारण देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(च) केमिस्ट का नाम किसी भी सरकारी / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रतिबंधित / काली-सूची में शामिल नहीं हुआ होना चाहिए। केमिस्ट को ऐसा प्रमाण पत्र/कार्रवाई, यदि कोई हो, अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय बैंक की जानकारी में यह बात आती है तो उसे छुपाने पर अनुबंध समाप्त हो सकता है और इस संबंध में मौजूदा कानूनों के अनुसार बैंक द्वारा अन्य कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

(छ) केमिस्ट की दुकान / व्यवसाय-स्थान लखनऊ शहर में होना चाहिए।

(ज) केमिस्ट के पास GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(झ) केमिस्ट के पास कम्प्यूटर से बिल बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

II. नियम और शर्तें:

1. कार्य का दायरा:

बैंक मोटे तौर पर अनुमानित आवश्यकता के अनुरूप दवाओं, आदि की एक सांकेतिक सूची तैयार करके, उसके आधार पर वर्ष में एक बार अपने पैनल के केमिस्टों को दवाओं की आपूर्ति के लिए 'कोटेशन हेतु अनुरोध' (आर एफ क्यू) जारी करेगा। बैंक एक या अधिक ऐसे केमिस्टों के साथ क्रय संविदा करेगा जो एकसमान एवं अधिकतम छूट प्रदान करेंगे। बैंक द्वारा वर्ष के दौरान समय समय पर जारी किए गए इंडेंटों के आधार पर केमिस्टों को करार में उल्लिखित छूट प्रदान करते हुए ड्रग/ दवाओं की आपूर्ति निर्धारित समय और निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। कृपया यह नोट किया जाये कि बैंक केवल उसी केमिस्ट से दवा खरिदने को बाध्य नहीं होगा जो अधिकतम छूट दे रहा हो। बैंक उच्चतम छूट की पेशकश करने वाले एक से अधिक केमिस्टों के साथ समानांतर दर अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। तदनुसार, दवाओं के लिए खरीद आदेश दो या अधिक केमिस्टों के बीच विभाजित किया जा सकता है। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार कर दे।

2. मूल्य निर्धारण:

केमिस्ट से यह अपेक्षित है कि वह बैंक के "कोटेशन हेतु अनुरोध " (RFQ) के उत्तर में संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाले सभी मदों के सम्बंध में चाहे उनका ब्रांड और निर्माता जो भी हो, स्ट्रिप /बोतल/यूनिट पैक पर मुद्रित

खुदरा मूल्य पर एकसमान छूट दर उद्धृत (कोट) करें। यह नोट किया जाये कि कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार के शुल्क, लेवी, कर आदि के भुगतान का दायित्व केमिस्ट का होगा। दवाओं की विधिवत पैकेजिंग, ढुलाई और बैंक द्वारा बताए गए किसी भी स्थान तक उसके परिवहन, आदि से सम्बन्धित सभी खर्च केमिस्ट को वहन करने होंगे । बैंक लेबल पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से सहमत एकसमान छूट दर की राशि घटाने के बाद बची शेष राशि का ही भुगतान करेगा। कोट की गई छूट की दरें संविदा की सम्पूर्ण अवधि के लिए वैध रहेगी। RFQ के समय बोली प्रक्रिया (Bidding Process) में भाग लेने के लिए केमिस्ट को एमएसटीसी पोर्टल शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

3. कार्यनिष्पादन सुरक्षा गारंटी (Performance Security Guarantee):

उपर्युक्त निर्दिष्ट वार्षिक खरीद संविदा किए जाने की स्थिति में केमिस्ट को **रु.19 लाख (उन्नीस लाख मात्र)** की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी देनी होगी। यह 18 माह की अवधि के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी वैध बैंक गारंटी हो सकती है या "भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ" के पक्ष में अनसुचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी दी जा सकती है। बैंक कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी पर कोई ब्याज अदा नही करेगा। यह कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी इस संविदा की वैधता अवधि के बाद भी छह माह तक वैध होनी चाहिए। इस संविदा के तहत दिये गये इंडेंट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण दवा आपूर्ति न किए जाने अथवा आपूर्ति की गयी दवा चोरी की होने की बात जानकारी में आने पर कार्यनिष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्यनिष्पादन सुरक्षा राशि निम्नलिखित परिस्थितियों में जब्त कर ली जाएगी, यदि प्राधिकृत केमिस्ट

(i) संविदा की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, अथवा

(ii) घटिया, नकली अथवा एवजी (सब्सीट्यूट) दवा आपूर्त करता है

(iii) आपूर्ति में विलम्ब करता है,

(iv) या निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलता है।

4. पैनल की अवधि:

क) सूचीबद्धता की अवधि **एक वर्ष (अप्रैल 2025 से मार्च 2026)** की होगी, जो बैंक द्वारा समीक्षा और विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / स्टॉकिस्ट / ड्रगिस्ट के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगी।

ख) वार्षिक खरीद संविदा के संबंध में आपूर्ति आदेश संविदा आखिरी तारीख तक दिये जा सकेंगे। संविदा की समाप्ति की तारीख को भी मिले आदेश का पालन करना होगा भले ही आपूर्ति की तारीख संविदा की अवधि के बाद हो।

5. पैनल में नाम शामिल करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज:

पैनल में नाम शामिल करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं :-

क) आवेदन की तारीख को केमिस्ट के पास मौजूद वैध लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रतियां।

ख) राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा जारी 'दोषी न होने संबंधी प्रमाण-पत्र' की प्रति जिसमें यह उल्लेख हो कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बने नियमों तथा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत नियमों और इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के तहत फ़र्म के विरुद्ध कोई मामला लंबित नही है। उपर्युक्त के एवज में इस आशय का शपथ पत्र स्वीकार्य है।

ग) सनदी लेखाकार (चाटर्ड अकाउन्टेंट) द्वारा विधिवत सत्यापित विगत तीन वित्तीय वर्ष के लेखा परिक्षित तुलन पत्रों की प्रतियॉ।

घ) अनुबंध III में दिये गये फार्मेट के अनुसार उपरोक्त पैरा-I (घ) (सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता) में निर्दिष्ट किन्ही तीन ग्राहकों से प्राप्त ग्राहक रिपोर्ट।

ङ) अनुबंध IV में दिये गये फार्मेट के अनुसार केमिस्ट के बैंकर द्वारा जारी बैंकर प्रमाण-पत्र।

च) GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

छ) केमिस्ट को आवंटित पैन (PAN) कार्ड की प्रति।

ज) समान व्यापार व्यवस्था का प्रमाण और पिछले दो साल में उस संगठन से प्राप्त कारोबार की राशि।

झ) उस संगठन के पास जमा सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि रु..... (यदि लागू हो)। (उक्त पैरा 5 (ज) में निर्दिष्ट)

इस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज़।

6. आवेदन प्रक्रिया:-

इस दस्तावेज़ के सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित व मुहर लगे होने चाहिए और पूरी तरह से विधिवत भरे आवेदन पत्र के साथ सभी निर्दिष्ट दस्तावेज़ लगे होने चाहिये। पात्र केमिस्ट अपने आवेदन बंद और मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें जिस पर **"भारतीय रिज़र्व बैंक के लखनऊ स्थित कार्यालय के दवाखानों में ड्रग्स/दवाओं की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/स्टाकिस्टों/केमिस्टों का पैनल बनाना"** लिखा हो और इसके साथ 'पैनल में नाम जोड़ने हेतु अनुरोध' (RFE) की मद सं. 5 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की प्रतियां भी लगी हों। आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय स्थापना अनुभाग, 8-9 विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ – 226010 को इस प्रकार भेजा जाए कि वह उन्हें **दिनांक 18 नवंबर 2024 को शाम 04:00 बजे तक** अवश्य प्राप्त हो जाए।

यह सुनिश्चित करने का दायित्व केमिस्ट का होगा कि उसका आवेदन पत्र नियत तिथि और समय पर या उससे पहले जमा हो जाये। यदि डाक में देरी या मार्ग में देरी के कारण निर्धारित तिथि और समय पर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

आर.एफ़.ई दस्तावेज़ की तैयारी पर होने वाले सभी खर्चे आवेदक द्वारा वहन किये जाएंगे।

7. किसी या सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार:-

नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त या किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जाएंगे। बैंक बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंक के पास यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी समय पर इस पैनल को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को अधिकार है कि वह बैंक हित को ध्यान रखते हुए अपने विवेक से आवश्यकतानुसार

इस दस्तावेज की किसी भी मद में सुधार/ बदलाव कर सकते हैं। इस संबंध में बैंक / क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. स्वीकृति की अधिसूचना :-

बैंक पत्र द्वारा आवेदन स्वीकार करने की सूचना देगा (स्वीकार्य होने की स्थिति में)।

9. आपूर्ति के लिये मांगपत्र तथा वितरण-व्यवस्था :-

क) बैंक से आपूर्ति का मांगपत्र प्राप्त होने पर, सामान की सुपुर्दगी मांगपत्र में उल्लिखित बैंक एवं कालोनी औषधालय परिसर में औषधालयों के कार्य-समय में, मांगपत्र की प्राप्ति की तिथि से यथाशीघ्र, अधिकतम एक सप्ताह के भीतर की जायेगी।

ख) यदि मांगपत्र में किसी विशिष्ट ब्रान्ड की दवा / सामग्री की मांग की गयी है तो उसके बदले किसी अन्य ब्रान्ड की दवा / सामग्री की आपूर्ति नहीं की जायेगी। अन्य मामलो में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन की एम अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्टियों की पुष्टि करने वाली औषधियों की ही आपूर्ति की जायेगी।

ग) आपूर्ति उत्पादक द्वारा ही की गयी पैकिंग में करनी आवश्यक है। किसी विशेष औषधि / ड्रग की पैकिंग मांगपत्र की कुल मात्रा के आसपास होनी चाहिये।

घ) आपूर्ति के समय औषधियों की आधी से ज्यादा शेल्फ लाईफ शेष रहनी चाहिये जो कि दवा के लेबल पर लिखी होती है।

ड) संबंधित औषधालयों को औषधियों की आपूर्ति करते समय केमिस्ट मांगपत्र में बैच नंबर, उत्पादक का नाम, मियाद (शेल्फ लाइफ) समाप्त करने की तारीख़ सूचित करनी होगी।

च) 30 दिन का नोटिस दिये बिना केमिस्ट औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं कर सकेगा। हालांकि, केमिस्ट नोटिस अवधि के दौरान बैंक द्वारा वांछित दवाइयों की आपूर्ति जारी रखेगा।

10. बिल प्रस्तुतीकरण:-

क) आपूर्ति की गयी औषधियों का बिल केमिस्ट बैंक के लखनऊ कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उसे बिल में आपूर्त की गई औषधियों का पूरा विवरण जैसे मद का नाम, मात्रा, दर, सहमत एकसमान छूट की दर/ राशि, उत्पादक का नाम, बैच नंबर, उत्पादन की तारीख़ और मियाद समाप्ति की तारीख़, मांगपत्र की संख्या एवं तारीख़, आदि तथा बैंक द्वारा मांगी गयी कोई अन्य सूचना का उल्लेख करना होगा।

ख) बिल के साथ मूल मांगपत्र और मांगी गयी समान प्राप्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा जो बैंक औषधालय के प्रभारी द्वारा तारीख़ और सील सहित हस्ताक्षरित हो।

इस संबंध में आधे- अधूरे और उपर्युक्त (क) और (ख) में वर्णित दस्तावेजो के बिना प्रस्तुत बिल स्वीकार नहीं किये जाएंगे न ही बैंक इसके लिए कोई भी ज़िम्मेदारी लेगा।

11. बिल का भुगतान:

प्रस्तुत बिल का भुगतान आम तौर पर सभी संबन्धित बिलों की प्रस्तुति की तारीख़ से 30 दिनों के भीतर किया जायेगा। तथापि, केमिस्ट किसी कारणवश भुगतान में देरी के लिये किसी प्रकार के ब्याज या नुकसान के संबंध में बैंक से कोई दावा नही कर सकेगा। यह भुगतान केमिस्ट को एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिये उसे अपने बैंक शाखा का पता, खाते का नाम, खाता संख्या, आदि अपेक्षित जानकारी करार के निष्पादन के सात दिनों के भीतर देनी होगी।

12. भष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण या अनैतिक आचरण:-

बैंक यह अपेक्षा करता है कि केमिस्ट दवाओं की आपूर्ति के लिये खरीद और संविदा निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। आपूर्ति की जाने वाली दवाएं मानक गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इसके अनुसरण में शर्ते निम्नानुसार निर्दिष्ट की जा रही है:-

क) केमिस्ट, पैनल तैयार करने की कार्रवाई या करार निष्पादन में किसी तरह की पेशकश, लेनदेन या मूल्यवान चीज का कोई प्रस्ताव देकर बैंक के किसी भी अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश नही करेगा।

ख) केमिस्ट, पैनल बनाने की प्रक्रिया या करार निष्पादन को प्रभावित करने के लिये तथ्यों की गलत बयानी का सहारा नही लेगा जिससे कि बैंक के हितो को कोई नुकसान हो।

ग) यदि किसी भी समय बैंक को यह लगा कि केमिस्ट पैनल बनाने की प्रक्रिया में या करार निष्पादन में भ्रष्ट आचरण और धोखाधड़ी में लिप्त है तो बैंक उसे अनिश्चितकाल के लिये या एक निर्दिष्ट अवधि के लिये संविदा प्रदान करने हेतु अयोग्य घोषित कर देगा।

घ) बैंक, करार की अवधि में, करार के उल्लघंन के लिये, किसी अन्य उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार से, निम्न में से किसी भी कारण के लिये, किसी भी केमिस्ट का पूरा अथवा आंशिक करार समाप्त कर सकता है:-

(i) घटिया / नकली / एवजी दवाओं की आपूर्ति।

(ii) दवाओं की आपूर्ति करने में देरी / आपूर्ति करने से इन्कार / आपूर्ति न करना.

(iii) बिल में ज्यादा दाम लगाना।

(iv) यदि आपूर्ति के समय यह पाया जाता है कि आपूर्त दवा की शेल्फ लाईफ आधे से अधिक समाप्त हो चुकी है।

(v) यदि केमिस्ट संविदा के अंतर्गत कोई अन्य दायित्व पूरा नही कर पाता है।

(vi) बैंक के दृष्टिकोण में केमिस्ट भ्रष्ट आचरण या धोखाधड़ी में लिप्त है।

ड) भुगतान के पहले या बाद में जाँच के दौरान यदि ऊपर (घ) में बताए गये मामलों में से कोई भी मामला पाया जाता है तो केमिस्ट, बैंक द्वारा पहले ही किये जा चुके अधिक भुगतान / विवादित राशि वापस करेगा और विवादग्रस्त दवाओं को बदलेगा। बैंक केमिस्ट को देय राशि की अदायगी रोक सकता है या इस तरह कि आपूर्ति की लागत वसूल कर सकता है।

13. सर्वोत्तम दामों को प्रयोज्यता (Applicability):

यदि कोई केमिस्ट, जिसके साथ बैंक ने वार्षिक खरीद करार किया है, इस संविदा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या संगठन को बैंक से ज्यादा छूट प्रदान करता है या बैंक की संविदा के समान मिलती-जुलती शर्तो पर दवाएं बेचता है या बेचने को तैयार होता है, तो बैंक के लिये लागू छूट की दर स्वत: ही इस करार के तहत बाद की सभी आपूर्ति के लिये उस तारीख़ से बढ़ जाएगी और यह करार तदनुसार संशोधित किया जाएगा। अन्य समानांतर संविदाकारों, यदि कोई हो, को भी कीमत कम करने के लिये मौका दिया जाएगा और कम कीमत उन्हें अधिसूचित की जाएगी तथा यदि वे चाहें तो, उन्हें अपने संशोधित कीमतों को सूचित करने के लिये 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिये वे अपनी संशोधित कीमतें मुहरबंद लिफाफे में भेज सकते है। जिसे अन्य सूचीबद्ध केमिस्टों के समक्ष निर्दिष्ट तारीख़ और समय पर खोला जा सकता है और सामान्य प्रथानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। केमिस्ट

एक्सपायर्ड दवाओं को भी बदलेगा और करार के उन नियमों और शर्तों का भी पालन करेगा जो बैंक और केमिस्ट के बीच में होंगे।

14. क्षतिपूर्ति (Indemnity):

इस संविदा के काम के संबंध में, या निष्पादन में, केमिस्ट द्वारा कुछ करने या करने की प्रतिबद्धता के संबंध में बैंक के खिलाफ लाए या किए गये सभी कार्रवाईयों, अदालती मामलों, दावों और मांगों के खिलाफ बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति केमिस्ट द्वारा की जाएगी। इस करार के निष्पादन में कुछ करने या करने कि प्रतिबद्धता स्वरूप केमिस्ट के विरूद्ध किसी भी कार्रवाई या इस दस्तावेज़ या अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण या अदालती कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले नुकसान की भरपाई केमिस्ट द्वारा की जाएगी।

बोलीकर्ता / केमिस्ट भारत में प्रचलित नौकरी सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और दुर्घटना या मौत से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों या जिम्मेदारियों से बैंक को मुक्त करेगा यदि इसका कारण बोलीकर्ता / केमिस्ट की लापरवाही है। बोलीकर्ता / केमिस्ट ऐसी घटनाओं से उत्पन्न पूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के करेगा और इसके लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा या बाध्य नहीं करेगा। बैंक अपने विवेक पर और पूरी तरह से बोलीकर्ता की कीमत पर या तो संयुक्त रूप से बोलीकर्ता के साथ या बोलीकर्ता के साथ न होने पर अकेले ही इस तरह के मुकदमे का प्रतिवाद कर सकता है।

15. प्रतिबंधित / अयोग्य घोषित किया जाना (Debar / Disqualify) –

यदि केमिस्ट करार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हो जाता है तो बैंक केमिस्ट को किसी भी पैनल में शामिल होने के लिए भाग लेने से या बैंक को दवा की आपूर्ति करने से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, बैंक केमिस्ट को कारण बताओ नोटिस दे सकता है और यदि कोई जवाब केमिस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक उस पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक / क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

16. गैर-प्रकटीकरण खंड

संविदाकर्ता / केमिस्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की किसी भी सूचना सामग्री और अवसंरचना / प्रणालियों / उपकरणों आदि, जो इस संविदा के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान संविदाकर्ता के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं, को किसी भी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेगा और हमेशा सख्त गोपनीयता बरतेगा। संविदाकर्ता दायित्वों को पूरा करते हुए लागू कानूनों का पालन करने की आवश्यकता के अतिरिक्त संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। संविदाकर्ता कार्य का कोई भी विवरण बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर में प्रकाशित नहीं करेगा / प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा। संविदाकर्ता / केमिस्ट या उनके कर्मचारियों / एजेंटों द्वारा किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक के किसी भी नुकसान के लिए संविदाकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। उक्त को मानने में विफलता को संविदाकर्ता की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। संविदा के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व को पूरी तरह से पूरा करने के लिए संविदाकर्ता / केमिस्ट अपने कर्मचारियों / एजेंटों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा।

17. भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ को दवाइयां देने के लिए डिलीवरी स्टाफ को केवल विक्रेता द्वारा नियोजित किया जाएगा और बैंक किसी भी तरह से उनके रोजगार की शर्तों या किसी श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विक्रेता अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को इस संबंध में तदनुसार सूचित करेगा। कर्मचारियों को डिलीवरी

सेवा का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। कर्मचारियों को विनम्र, व्यवहार में अच्छा और चौकस होने के अलावा बैंक में ठीक से तैयार होकर आना होगा। डिलीवरी स्टाफ को अंग्रेजी / हिंदी में अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए और उसके पास बैंक द्वारा जारी एक प्रवेश पास होना चाहिए जिसे वस्तुओं की डिलीवरी के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। डिलीवरी स्टाफ को वैध प्रवेश पास के बिना बैंक के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

18. दवाओं की आपूर्ति के लिए डिलीवरी स्टाफ के रूप में विक्रेता द्वारा तैनात कर्मचारी को भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। किसी भी स्थिति में, बैंक को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक और बोलीदाता/नियुक्त व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

(क) संविदाकर्ता / एजेंसी / विक्रेता / केमिस्ट "कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूरी तरह से अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। यदि बैंक परिसर के भीतर इसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तब यह शिकायत उपयुक्त शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी। संविदाकर्ता / एजेंसी / विक्रेता अपने कर्मचारियों या एजेंट या आपूर्ति कार्मिक को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। शिकायत के संबंध में इस अधिनियम के तहत संविदाकर्ता / एजेंसी / विक्रेता उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

(ख) बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध संविदाकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी की ओर से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति के संज्ञान में ली जाएगी।

(ग) संविदाकर्ता / विक्रेता / केमिस्ट किसी भी ऐसी मौद्रिक क्षति-पूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें संविदाकर्ता के कर्मचारी या एजेंट या आपूर्ति कार्मिक के शामिल होने की वजह से भुगतान किया जाना हो, उदाहरण के लिए, यदि संविदाकर्ता के कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को मौद्रिक राहत।

(घ) संविदाकर्ता / विक्रेता / केमिस्ट जिम्मेदार होगा कि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करे।

(ङ) संविदाकर्ता / विक्रेता / केमिस्ट अपने उन कर्मचारियों या एजेंट या आपूर्ति कार्मिक की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा जो बैंक परिसर के भीतर प्रतिनियुक्त हों।

20. मध्यस्थता (Arbitration)

बैंक और निविदाकर्ता संविदा के संबंध में अपने बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्वक हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत के शुरू होने के तीस दिन बाद भी, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ और निविदाकर्ता सौहार्दपूर्ण रूप से संविदा विवाद को हल करने में असमर्थ रहते हैं तो किसी भी पक्ष को एक मध्यस्थ नियुक्त करके "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996" के प्रावधानों को लागू करते हुए दोनों पक्षों में आपसी सहमति के साथ औपचारिक मध्यस्थता द्वारा विवाद को हल करना अपेक्षित होगा। यदि दोनों पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो प्रत्येक पक्ष अपने-अपने मध्यस्थ को नियुक्त करेगा और नियुक्त किए गए मध्यस्थ संविदा के तहत पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, केमिस्ट इस समझौते के तहत अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जाता

है मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और इसके तहत समय-समय पर बनाए गए नियम या कोई संशोधन मध्यस्थता की कार्यवाही को नियंत्रित करेंगे। मध्यस्थता का स्थान लखनऊ होगा।

21. करार / संविदा से उत्पन्न होने वाले / इससे संबंधित सभी कानूनी मुकदमे, कार्यवाही केवल लखनऊ में स्थित न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

22. इस दस्तावेज़ का हिंदी संस्करण केवल सुलभ संदर्भ के लिए है। इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह / मतभेद के मामले में, इस दस्तावेज़ का अंग्रेजी संस्करण ही प्रभावी होगा।

23. इस संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी व्यय केवल विक्रेताओं / केमिस्टों द्वारा वहन किए जाएंगे।

****

भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
गोमतीनगर, लखनऊ

औषधियों और दवाओं की आपूर्ति के लिए दवा विक्रेताओं के पैनल के संबंध में आवेदन पत्र

क्र. सं.	मद विवरण	ब्यौरे
1.	केमिस्ट का नाम और पत्राचार का पता	
2.	संगठटन (कंपनी / साझेदारी / स्वामित्व)	
3.	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी, पंजीकरण संख्या व दिनांक)	
4.	व्यवसाय प्रारम्भ होने का वर्ष	
5.	GST पंजीकरण संख्या	
6.	स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर)	
7.	निर्माता / अधिकृत वितरक / डीलर / एजेंसी	
8.	बैंक के साथ वचनबद्धता हेतु मालिक / साझेदार / निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी का नाम पदनाम सहित	
9.	टेलीफोन नं. : मोबाइल नं : ई मेल :	
10.	डाक का पता	
11.	क्या केमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऐलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन की तारीख को वैध लाइसेंस है ? कृपया लाइसेंसों का विवरण दें ।	
12.	क्या केमिस्ट को राज्य औषध नियंत्रक द्वारा दोषी ठहराया गया है या औषधि या प्रसाधन सामाग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत तथा ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अधीन उसके खिलाफ कोई भी मामला लंबित है?	

13.	क्या केमिस्ट के पास GST क्लीयरेंस प्रमाण पत्र उपलब्ध है?		
14.	क्या बिलिंग प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है?		
15.	सबसे अच्छी कीमत मानदंड के लिए सहमत (देखें पैरा 13)		
16.	दवाओं की थोक आपूर्ति के लिए केमिस्ट के सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के / कॉर्पोरेट ग्राहकों के नाम। इसके अलावा, संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफ़ोन नंबर भी दें।		
17.	प्रधान बैंकर का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर		
18.	वित्तीय वर्ष की कुल वार्षिक बिक्री	2021-2022	
		2022-2023	
		2023-2024	

मैंने ड्रग्स और दवाइयों की आपूर्ति के लिए केमिस्टों और ड्रगिस्टों का पैनल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिस जिसमें पात्रता मानदंड तथा नियम और शर्तें दी गई हैं, को पढ़ और समझ लिया है। ये नियम और शर्तें मुझे पूरी तरह से स्वीकार हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि बैंक किसी भी आवेदन को स्वीकार करने और किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर (अधिकृत और सक्षम व्यक्ति)
नाम :
पदनाम :
दिनांक :

अनुबंध-II

वार्षिक प्रत्याशित खरीद, अपेक्षित कारोबार (देखें पैरा-I(ग)) और परफॉरमेंस बैंक गारंटी की राशि (देखें पैरा – II(3)) का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक, कार्यालय का नाम	विधिवत भरे हुए आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि	प्रत्याशित वार्षिक कुल बिक्री की राशि	पात्रता हेतु अपेक्षित कुल बिक्री	परफॉरमेंस बैंक गारंटी की राशि
1.	लखनऊ	18 नवम्बर, 2024 (04: 00 बजे तक)	190.00	95	19

अनुबंध-III

कार्य निष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रोफ़ार्मा
(प्रत्येक ग्राहक से अलग प्रति)

ग्राहक का नाम और पता :

श्री / मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण_____(केमिस्ट का नाम)

1. संक्षिप्त विवरण के साथ काम का नाम :
2. करार संख्या और तारीख :
3. करार की राशि (अनुमान भी स्वीकार्य है):
4. कार्य न करने या शर्तें न मानने के लिए लगाए गए दंडों (राशि दर्शाएँ) का विवरण
5. उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जिनके अधीन आपूर्ति की गई

   नाम और पदनाम :

   टेलीफोन नंबर :

   ईमेल :
6. केमिस्ट की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ :

   क) तकनीकी दक्षता

   ख) वित्तीय सुदृढ़ता

   ग) समयसीमा का पालन

   घ) काम की गुणवत्ता

   ङ) सामान्य व्यवहार

अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम है।

(हस्ताक्षर)

नाम व पदनाम :
संपर्क टेलीफोन संख्या :

प्रतिहस्ताक्षरित

(कार्यालय की मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी का हस्ताक्षर)

बैंकर सर्टिफिकेट

अनुबंध –IV

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9, विपिन खंड
गोमती नगर, लखनऊ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर सर्टिफिकेट

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ज्ञान और जानकारी के अनुसार श्री/मेसर्स _____ (नाम और पता) हमारे बैंक के एक सम्मानीय ग्राहक हैं और उन्हे रुपये _____ (_____ रुपये) की सीमा तक किसी भी व्यवहार के लिए ठीक समझा जा सकता है।

यह प्रमाण पत्र बैंक या अधिकारियों पर बिना किसी गारंटी या ज़िम्मेदारी के जारी किया जाता है।

कृते बैंक
(मुहर के साथ हस्ताक्षर)
दिनांक :

नाम व पदनाम
कृते बैंक

टिप्पणी :

1. बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए और एक लिफाफे में सील बंद कर दिया जाना चाहिए तथा सूची बनाने वाले प्राधिकारी को संबोधित होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए जिस प्रकार के वाणिज्यिक बैंक के पास दर्ज हैं।